



2026:AHC:51157-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 23 वर्ष 2026

प्रिंस @ लवली (नाबालिग)

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आकाश गर्ग

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी. ए.

कोर्ट नंबर - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री मोहम्मद कलीम द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत वकालतनामा अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
3. शुरू में ही, विद्वान ए.जी.ए. ने बताया है कि इस मामले में, उन्होंने 24.2.2026 को रजिस्ट्री में एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया था, लेकिन वह रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है।
4. कार्यालय उसे खोजकर रिकॉर्ड पर रखे।
5. माननीय ए.जी.ए. ने आगे यह बताया है कि प्रस्तुत मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके, किंतु उन्होंने कहा कि वे इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अचल सचदेव,) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,)

12 मार्च, 2026

आर

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।